भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2013

का.आ. 1701(अ).- मोटलों के लिए अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात (फ्लोर एरिया रेशो) अधिसूचना संख्या का.आ. 2555 (अ), दिनांक 26 अक्तूबर, 2012 द्वारा बढ़ाया गया था। अब, केन्द्र सरकार ने अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात के लिए प्रभारों को निम्नानुसार अनुमोदित कर दिया है :

क्रम संख्या	मोटलों की अवस्थिति	दरें (रुपयों में) प्रति वर्ग मी
1.	राष्ट्रीय राजमार्गों पर	4436
2.	अन्तर्राज्जीय सड़कों पर	2883
3.	अन्य क्षेत्रों में	1874

उपर्युक्त दरें, संस्वीकृति के अनुसार पहले से उपयोग किए जा रहे एफएआर के निवल पर प्रस्तावित वास्तविक एफएआर पर अनुपातिक आधार पर लागू होंगी।

2. दिनांक 26 अक्तूबर, 2012 की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार अन्य मानक और अनुमत कार्यकलाप वही होंगे जो होटल उपयोग परिसरों के लिए लागू हैं। तथापि, इससे सम्पत्ति का व्यावसायिक उपयोग होगा इसलिए अतिरिक्त प्रभार वसूल किया जाएगा। यह प्रभार व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए रखे गये वास्तविक क्षेत्रफल के संबंध में उपर्युक्त पैरा 1 में लगाए गए प्रभार पर 20% अतिरिक्त लगाया जाएगा।

3. ये दरें, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से इनमें किए जाने वाले अगले संसोधन एवं अधिसूचना जारी किए जाने तक लागू रहेंगी।

[फा. 2(34)99/एओ(पी)/डीडीए]

डी. सरकार, आयुक्त-सह-सचिव